

**प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) की बैठक दिनांक 17.11.2021 का कार्यवृत्त।**

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- (1) श्री रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०शासन।
- (2) श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (3) श्री रणवीर प्रसाद, सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- (4) सुश्री यशु रूस्तगी, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- (5) श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी, विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०शासन।
- (6) श्रीमती जे० रिभा, अपर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- (7) श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन (अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित)।
- (8) श्री रवि जैन, निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
- (9) श्री बलवीर सिंह लुथरा, डी०जी०एम०, एस०एल०बी०सी०(बैंक आफ बड़ौदा)
- (10) श्री अनूप श्रीवास्तव, सी०टी०सी०पी० कार्यालय।

निदेशक, सूडा/मिशन निदेशक, एसएलएनए द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2021 की बैठक में SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 29.10.2021 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें 24,755 अपात्रों का करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण, 73,140 नये आवासों की डीपीआर तथा भागीदारी में किफायती आवास घटक की 13 परियोजनाओं की ए०टी०आर० का अनुमोदन किया गया।

उप-समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु SLSMC के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिस पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

**एजेण्डा-01:-दिनांक 10.09.2021 की बैठक में SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 29.10.2021 की बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों पर SLSMC की स्वीकृति**

- 1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं एवं 150 Days Challenge हेतु चयनित नगर निकायों की 311 परियोजनाओं में 24,755 अपात्रों के Curtailment/अभ्यर्पण का अनुमोदन निम्नानुसार उप-समिति द्वारा किया गया।

अवगत कराया गया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक में 36 जनपदों की 244 परियोजनाओं में 22,397 आवास एवं लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) घटक

में 21 जनपदों की 67 परियोजनाओं में 2358 आवास कुल 36 जनपदों की 311 परियोजनाओं में 24,755 आवासों को Curtailment/अभ्यर्पण किये जाने हेतु जनपदों से प्राप्त डीपीआर का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रु० करोड़ में)

घटक	परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत आवास	पात्रों की सं०	अपात्रों की सं०	अभ्यर्पण से पूर्व परियोजना लागत	अभ्यर्पण पश्चात् परियोजना लागत
BLC(N)	244	98964	76567	22397	3706.253	2865.524
BLC(E)	67	8358	6000	2358	193.9814	140.9771
<b>Total</b>	<b>311</b>	<b>107322</b>	<b>82567</b>	<b>24755</b>	<b>3900.2344</b>	<b>3006.5011</b>

BLC-N

(Amt. in cr.)

District	No of Project	Sanctioned DU's	Patra	Apatra	Old Project Cost	New Project Cost
Agra	2	525	477	48	17.640	16.027
Aligarh	11	1971	1478	493	74.898	56.164
Auraiya	3	458	361	97	15.375	12.119
Ayodhya	3	417	336	81	13.999	11.279
Azamgarh	20	2684	2227	457	90.182	74.827
Badaun	11	3254	3134	120	123.652	119.092
Baghpat	22	6316	5101	1215	240.530	194.259
Banda	3	1198	922	276	45.524	35.036
Bara Banki	8	2510	2025	485	84.260	67.979
Bareilly	11	3580	3209	371	136.040	121.942
Basti	5	756	663	93	28.728	25.194
Bijnor	3	637	477	160	24.206	18.126
Bulandshahr	2	1136	946	190	43.262	36.026
Chandauli	1	95	91	4	3.192	3.058
Farrukhabad	4	360	345	15	12.085	11.582
Fatehpur	5	1434	1155	279	48.139	38.773
G B Nagar	4	369	333	36	14.053	12.682
Ghaziabad	24	20164	14576	5588	767.021	554.512
Ghazipur	4	2094	1582	512	70.358	53.155
Gonda	2	709	440	269	26.942	16.720
Gorakhpur	7	15792	11066	4726	600.096	420.508
Hamirpur	8	3000	2619	381	114.000	99.522
Hathras	21	5040	2821	2219	191.520	107.198
Jalaun	1	475	276	199	18.089	10.511
Kushinagar	8	3131	2618	513	118.978	99.484
Maharajganj	3	3513	2939	574	133.494	111.682
Mathura	3	250	209	41	9.500	7.942

District	No of Project	Sanctioned DU's	Patra	Apatra	Old Project Cost	New Project Cost
Meerut	7	3539	3306	233	134.776	125.902
Moradabad	3	1368	1223	145	51.984	46.474
Pilibhit	6	5277	4363	914	200.629	165.880
Pratapgarh	2	521	440	81	17.490	14.771
Prayagraj	3	1015	895	120	34.073	30.045
Saharanpur	6	1861	1457	404	70.872	55.486
Shajahanpur	3	324	310	14	12.312	11.780
Shamili	12	2489	1709	780	94.787	65.083
Unnao	3	702	438	264	23.566	14.704
<b>Total (BLC-N)</b>	<b>244</b>	<b>98964</b>	<b>76567</b>	<b>22397</b>	<b>3706.253</b>	<b>2865.524</b>
<b>BLC-E</b>						
Agra	1	30	22	8	0.595	0.436
Aligarh	13	2102	1598	504	48.501	37.024
Azamgarh	8	249	137	112	5.124	2.815
Badaun	4	344	322	22	8.392	7.875
Baghpat	4	193	129	64	4.755	3.178
Banda	1	33	10	23	0.813	0.246
Bara Banki	2	15	10	5	0.287	0.179
Bareilly	4	181	140	41	4.443	3.442
Bulandshahr	1	204	149	55	4.095	2.997
Fatehpur	2	177	89	88	4.465	2.255
G B Nagar	2	78	72	6	1.914	1.766
Ghaziabad	1	167	79	88	4.062	1.900
Ghazipur	3	155	57	98	3.696	1.359
Gonda	1	59	28	31	1.454	0.690
Hathras	4	343	154	189	7.787	3.387
Kushinagar	3	876	791	85	20.575	18.505
Meerut	3	182	0	182	3.643	0.000
Maharajganj	5	1511	1226	285	35.567	29.409
Mathura	1	19	12	7	0.468	0.296
Meerut	3	182	0	182	3.643	0.000
Pilibhit	3	1075	785	290	25.473	19.155
Saharanpur	1	365	190	175	7.873	4.061
<b>Total (BLC-E)</b>	<b>67</b>	<b>8358</b>	<b>6000</b>	<b>2358</b>	<b>193.9814</b>	<b>140.9771</b>
<b>Grand Total</b>	<b>311</b>	<b>107322</b>	<b>82567</b>	<b>24755</b>	<b>3900.2344</b>	<b>3006.5011</b>

यह भी अवगत कराया गया कि जनपदों द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा के हस्ताक्षरोपरान्त अपात्रों के Curtailment/अभ्यर्पण की डी0पी0आर0 प्रेषित की गयी है, जिसमें Curtailment/अभ्यर्पण के मुख्य कारण लाभार्थी का पी0एम0ए0वाई0(यू) की गाइड लाईन के अनुसार अपात्र (निकाय सीमा से बाहर/पक्का आवास) होना, लाभार्थी का अन्य घटक में लाभ लेने हेतु पात्र/इच्छुक होना, लाभार्थी की भूमि विवादित होना/भू-स्वामित्व सम्बन्धी वांछित प्रपत्र उपलब्ध न होना, लाभार्थी योजना में लाभ लेने का इच्छुक नहीं है अथवा अन्यत्र स्थान पर चले जाना है।

इस प्रकार पूर्व में एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा 2016 परियोजनाओं में 1,57,147 अपात्रों का Curtailment/अभ्यर्पण स्वीकृत किया गया है। उप-समिति द्वारा दिनांक 29.10.2021 की बैठक में 311 परियोजनाओं में 24,755 अपात्रों के Curtailment/अभ्यर्पण का अनुमोदन दिया गया है, जिसको सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 2,327 परियोजनाओं में 1,81,902 अपात्रों का Curtailment/अभ्यर्पण प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

पूर्व में SLSMC द्वारा स्वीकृत किये जा चुके Curtailment/अभ्यर्पण	1,57,147
उप-समिति द्वारा दिनांक 29.10.2021 को अनुमोदित Curtailment/अभ्यर्पण	24,755
<b>कुल प्राप्त Curtailment/अभ्यर्पण</b>	<b>1,81,902</b>

विगत बैठकों में SLSMC द्वारा 1,57,147 अपात्रों का Curtailment/अभ्यर्पण स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 1,08,761 आवासों की ही नई डीपीआर स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार स्वीकृत Curtailment/अभ्यर्पण के सापेक्ष अभी 48,386 आवासों की नई डीपीआर स्वीकृत की जानी शेष है। अवगत कराया गया कि गत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 29.10.2021 को 24,755 अपात्रों का Curtailment/अभ्यर्पण एवं 73,140 नये आवास स्वीकृत किये गये।

इस प्रकार अब तक कुल किये गये Curtailment/अभ्यर्पण के समतुल्य नये आवास की डीपीआर उपलब्ध होने के दृष्टिगत 24,755 अपात्रों के Curtailment/अभ्यर्पण का अनुमोदन उप-समिति द्वारा दिया गया।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि Curtailment/अभ्यर्पण के सापेक्ष प्रस्तुत नए आवास के प्रस्ताव भिन्न निकायों से होने के कारण प्रस्तुत किये गये Curtailment/अभ्यर्पण के प्रस्ताव पर मा0 विभागीय मंत्री से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त कर ली जाये।

अतः उपरोक्तानुसार उप-समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन एवं मा0 विभागीय मंत्री द्वारा सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त 24,755 अपात्रों के Curtailment/अभ्यर्पण की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी।

**SLSMC द्वारा दिनांक 10.09.2021 की बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1999/69-1-2021-14(235)/15 दिनांक 25 सितम्बर, 2021 में 1000 से अधिक आवासों का Curtailment/अभ्यर्पण होने की दशा में सर्वे एजेन्सी (HFAPoA/PMC) एवं अपात्रों का चयन से सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये थे।**

इस सम्बन्ध में मिशन निदेशक, एसएलएनए द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि प्रत्येक डीपीआर अलग-अलग संख्या में स्वीकृत है, इस कारण अपात्रों के प्रतिशत के आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु पॉलिसी तैयार की गयी है। एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 के कार्य हेतु चयनित संस्थाओं मै0 रूद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज, मै0 विजन ईआईएस कन्सलटिंग प्रा0लि0, मै0 स्टेसलिस्ट सिस्टम्स, मै0 सरयूबाबू इंजी0 इण्डिया एवं मै0 सरयूबाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डवलपमेन्ट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत सभी घटकों का डिमांड सर्वे किया गया था तथा प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रमाणीकरण कर हाऊसिंग फार ऑल प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर प्रस्तुत किया गया था।

38वीं सीएसएमसी तक स्वीकृत डीपीआर एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 कंसलटेंट द्वारा किये गये डिमाण्ड सर्वे/प्रमाणीकरण के उपरान्त उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर डीपीआर कन्सलटेन्ट्स द्वारा तैयार की गयी, जिन्हें भारत सरकार से स्वीकृत कराया गया। एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 कंसलटेंट

द्वारा अनुबन्ध में वर्णित समस्त नगर निकायों के प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भी किया जा चुका है। वर्तमान में किसी भी जनपद/नगर निकाय में एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 कंसलटेंट द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा में जाँचोपरान्त लगभग 19 से 35 प्रतिशत अपात्र पाये गये हैं, जिस कारण अपात्रों का करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण किया जा रहा है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत इन एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 संस्थाओं को उत्तरदायी मानते हुए 10 प्रतिशत भुगतान को दण्ड (Penalty) स्वरूप कटौती किये जाने का निर्णय लिया गया। एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 संस्थाओं के साथ किये गये अनुबन्ध में अधिकतम 10 प्रतिशत कटौती किये जाने का प्राविधान है।

इसके अतिरिक्त डीपीआर कन्सलटेन्ट्स द्वारा तैयार की गयी डीपीआर में अपात्रों हेतु भुगतान अदेय होगा। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध के बिन्दु संख्या-6.2 Penalty तथा 6.3 Action for deficiency in services के दृष्टिगत ऐसे जनपद, जिनमें अपात्रों की संख्या कुल स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 10 प्रतिशत से अधिक है, उन जनपदों में डीपीआर संस्थाओं को उत्तरदायी मानते हुए अपात्रों की डीपीआर धनराशि का 20 प्रतिशत दण्ड स्वरूप (Penalty) कटौती किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे जनपद, जिनमें अपात्रों की संख्या कुल स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 10 प्रतिशत से कम है, उसको मानवीय त्रुटि मानते हुए कटौती से मुक्त रखा गया है। संस्था को अपात्रों का कोई भुगतान देय नहीं है। साथ ही अनुबन्ध के बिन्दु सं0-6.5 Warning/Debarring के अनुसार जिन जनपदों में किसी संस्था द्वारा प्रेषित DPRs में 25 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी अपात्र पाये गये हैं, overall जिनका Curtailment/अभ्यर्पण किया जा रहा है, उन जनपदों में उपरोक्तानुसार कटौती के अतिरिक्त कार्यरत डीपीआर संस्था (DPR Consultant) को सम्बन्धित जनपद में 150 Days Challenge (दि0 19.11.2021) पूर्ण होने के बाद आगे कार्य हेतु डिबार किया गया।

इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया कि उप-समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि Curtailment/अभ्यर्पण हेतु निर्धारित की गयी पॉलिसी के अनुसार सम्बन्धित कन्सलटेन्ट्स पर कार्यवाही के साथ-साथ, ऐसे जनपद जहाँ अपात्रों की संख्या स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ के तत्समय कार्यरत परियोजना अधिकारी, डूडा को उत्तरदायी मानते हुए विभागीय कार्यवाही की जाये। साथ ही यदि चिन्हित परियोजना अधिकारी तत्समय किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, तो ऐसी स्थिति में उनके विभाग को कार्यवाही हेतु संस्तुति की जाये।

**1.2 लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया आवास) घटक में 20 जनपदों की 75 नगर निकायों में 73140 आवासों की डीपीआर का अनुमोदन निम्नानुसार उप-समिति द्वारा किया गया।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक हेतु 20 जनपदों की 96 नगर निकायों में 87,415 आवासों की डीपीआर उप-समिति के अनुमोदन हेतु दिनांक 29.10.2021 की बैठक में प्रस्तुत की गयी थी।

यह भी अवगत कराया गया कि गत एस0एल0एस0एम0सी0 की बैठक में दिये दिशा-निर्देशों के अनुसार उप-समिति द्वारा प्रस्तुत कुल 87,415 आवासों की डीपीआर में से अब तक स्वीकृत Curtailment/अभ्यर्पण के सापेक्ष वांछित 73140 आवासों की डीपीआर बी0एल0सी0 (नया) घटक में निम्नानुसार स्वीकृत की गयी:-

- (i) 13 नवसृजित निकायों में 15542 आवासों की डीपीआर

(ii) 14 सीमा विस्तारित निकायों में 38057 आवासों की डीपीआर

(iii) HFA Achieved हेतु चयनित 28 निकायों में 12349 आवासों की डीपीआर

(iv) 20 अन्य निकायों में 7192 आवासों की डीपीआर

**(i) नवसृजित निकायों में 15542 आवासों की डीपीआर का विवरण:-**

(धनराशि रु० लाख में)

क्र. सं.	जनपद	नगर निकाय का नाम	EWS आवासों की सं०	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	परियोजना लागत	भूकम्पीय क्षेत्र
1	Maharajganj	Brijmanganj NP	629	943.50	629.00	817.70	2390.20	4
2	Maharajganj	Chauk Bazar NP	3704	5556.00	3704.00	4815.20	14075.20	4
3	Maharajganj	Paniyara NP	2028	3042.00	2028.00	2636.40	7706.40	4
4	Maharajganj	Partawal NP	1589	2383.50	1589.00	2065.70	6038.20	4
5	Pratapgarh	Kohdaur NP	348	522.00	348.00	298.23	1168.23	3
6	Pratapgarh	Prithviganj NP	853	1279.50	853.00	731.00	2863.50	3
7	Shahjahanpur	Nigohi NP	2513	3769.50	2513.00	3266.90	9549.40	4
8	Siddharth Nagar	Kapil Vastu NP	319	478.50	319.00	414.70	1212.20	4
9	Siddharth Nagar	Bharat Bhari NP	597	895.50	597.00	776.10	2268.60	4
10	Siddharth Nagar	Barhni Chafa NP	1371	2056.50	1371.00	1782.30	5209.80	4
11	Siddharth Nagar	Biskohar NP	480	720.00	480.00	624.00	1824.00	4
12	Siddharth Nagar	Itwa NP	601	901.50	601.00	781.30	2283.80	4
13	Sultanpur	Lambhua NP	510	765.00	510.00	437.06	1712.06	3
<b>Total</b>			<b>15542</b>	<b>23313.00</b>	<b>15542.00</b>	<b>19446.59</b>	<b>58301.59</b>	

उपरोक्त 05 जनपदों की 13 नगर निकायों में 15542 आवासों की डीपीआर की परियोजना लागत रु० 58,301.59 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रु० 23,313.00 लाख, राज्यांश रु० 15,542.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान रु० 19,446.59 लाख है।

**(ii) सीमा विस्तारित निकायों में 38057 आवासों की डीपीआर का विवरण:-**

(धनराशि रु० लाख में)

क्र. सं.	जनपद	नगर निकाय का नाम	EWS आवासों की सं०	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	परियोजना लागत	भूकम्पीय क्षेत्र
1	Ayodhya	Ayodhya NN	107	160.50	107.00	91.70	359.20	3
2	Firozabad	Firozabad NN	3306	4959.00	3306.00	2843.16	11108.16	3
3	Gorakhpur	Gorakhpur NN	3025	4537.50	3025.00	3932.50	11495.00	4
4	Gorakhpur	Pipraich NP	331	496.50	331.00	430.30	1257.80	4
5	Maharajganj	Anandnagar NP	873	1309.50	873.00	1134.90	3317.40	4
6	Maharajganj	Maharajganj NPP	892	1338.00	892.00	1159.60	3389.60	4
7	Maharajganj	Siswa Bazar NP	283	424.50	283.00	367.90	1075.40	4
8	Mathura	Govardhan NP	148	222.00	148.00	192.40	562.40	4
9	Mathura	Mathura NN	10326	15489.00	10326.00	13423.80	39238.80	4
10	Mathura	Radhakund NP	188	282.00	188.00	244.40	714.40	4
11	Pratapgarh	Raniganj NP	498	747.00	498.00	426.77	1671.77	3

क्र. सं.	जनपद	नगर निकाय का नाम	EWS आवासों की सं०	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	परियोजना लागत	भूकम्पीय क्षेत्र
12	Sant Kabir Nagar	Mehdawal NP	1261	1891.50	1261.00	1639.30	4791.80	4
13	Siddharth Nagar	Shohratgarh NP	571	856.50	571.00	742.30	2169.80	4
14	Varanasi	Varanasi NN	16248	24372.00	16248.00	13973.28	54593.28	3
<b>Total</b>			<b>38057</b>	<b>57085.50</b>	<b>38057.00</b>	<b>40602.31</b>	<b>135744.81</b>	

उपरोक्त 08 जनपदों की 14 नगर निकायों में 38057 आवासों की डीपीआर की परियोजना लागत रु० 1,35,744.81 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रु० 57,085.50 लाख, राज्यांश रु० 38,057.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान रु० 40,602.31 लाख है।

**(iii) HFA Achieved वाली निकायों में 12349 आवासों की डीपीआर का विवरण:-**

(धनराशि रु० लाख में)

क्र. सं.	जनपद	नगर निकाय का नाम	EWS आवासों की सं०	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	परियोजना लागत	भूकम्पीय क्षेत्र
1	Gonda	Colonelganj NPP	50	75.00	50.00	65.00	190.00	4
2	Gonda	Gonda NPP	387	580.50	387.00	503.10	1470.60	4
3	Hamirpur	Gohand NP	337	505.50	337.00	438.10	1280.60	4
4	Hamirpur	Sarila NP	618	927.00	618.00	803.40	2348.40	4
5	Moradabad	Bhojpur Dharampur NP	303	454.50	303.00	393.90	1151.40	4
6	Muzaffarnagar	Jansath NP	163	244.50	163.00	213.25	620.75	4
7	Muzaffarnagar	Shahpur NP	279	418.50	279.00	365.01	1062.51	4
8	Sambhal	Babrala NP	237	355.50	237.00	308.10	900.60	4
9	Sambhal	Gawan NP	247	370.50	247.00	321.10	938.60	4
10	Sambhal	Gunnaur NP	177	265.50	177.00	230.10	672.60	4
11	Shamli	Ailam NP	224	336.00	224.00	293.05	853.05	4
12	Shamli	Banat NP	311	466.50	311.00	406.87	1184.37	4
13	Shamli	Jalalabad NP	169	253.50	169.00	221.10	643.60	4
14	Shamli	Jhinjhana NP	257	385.50	257.00	336.22	978.72	4
15	Shamli	Kairana NPP	549	823.50	549.00	718.24	2090.74	4
16	Shamli	Kandhla NPP	344	516.00	344.00	450.04	1310.04	4
17	Shamli	Thana Bhawan NP	334	501.00	334.00	436.96	1271.96	4
18	Shamli	Un NP	85	127.50	85.00	111.20	323.70	4
19	Siddharth Nagar	Barhani Bazar NP	255	382.50	255.00	331.50	969.00	4
20	Siddharth Nagar	Bansi NPP	919	1378.50	919.00	1194.70	3492.20	4
21	Sitapur	Biswan NPP	665	997.50	665.00	569.89	2232.39	3
22	Sitapur	Khairabad NPP	895	1342.50	895.00	767.00	3004.50	3
23	Sitapur	Mahmudabad NPP	1073	1609.50	1073.00	919.54	3602.04	3
24	Sitapur	Paintepur NP	297	445.50	297.00	254.52	997.02	3
25	Sitapur	Sitapur NPP	2626	3939.00	2626.00	2250.43	8815.43	3
26	Sultanpur	Dostpur NP	31	46.50	31.00	26.57	104.07	3
27	Sultanpur	Koeripur NP	167	250.50	167.00	143.12	560.62	3

क्र. सं.	जनपद	नगर निकाय का नाम	EWS आवासों की सं०	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	परियोजना लागत	भूकम्पीय क्षेत्र
28	Sultanpur	Sultanpur NPP	350	525.00	350.00	299.94	1174.94	3
<b>Total</b>			<b>12349</b>	<b>18523.50</b>	<b>12349.00</b>	<b>13371.95</b>	<b>44244.45</b>	

उपरोक्त 09 जनपदों की 28 नगर निकायों में 12349 आवासों की डीपीआर की परियोजना लागत रु० 44,244.45 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रु० 18,523.50 लाख, राज्यांश रु० 12,349.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान रु० 13,371.95 लाख है।

(iv) अन्य निकायों में 7192 आवासों की डीपीआर का विवरण:-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र. सं.	जनपद	नगर निकाय का नाम	EWS आवासों की सं०	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	परियोजना लागत	भूकम्पीय क्षेत्र
1	Bareilly	Nawabganj NPP	185	277.50	185.00	240.50	703.00	4
2	Firozabad	Jasrana NP	20	30.00	20.00	17.20	67.20	3
3	Gorakhpur	Bansgaon NP	409	613.50	409.00	531.70	1554.20	4
4	Gorakhpur	Sahjanwan NP	806	1209.00	806.00	1047.80	3062.80	4
5	Mathura	Barsana NP	377	565.50	377.00	490.10	1432.60	4
6	Mathura	Chaumuhan NP	308	462.00	308.00	400.40	1170.40	4
7	Mathura	Kosikalan NPP	167	250.50	167.00	217.10	634.60	4
8	Mathura	Mahaban NP	61	91.50	61.00	79.30	231.80	4
9	Mathura	Nandgaon NP	64	96.00	64.00	83.20	243.20	4
10	Meerut	Harra NP	289	433.50	289.00	378.09	1100.59	4
11	Meerut	Khiwai NP	647	970.50	647.00	846.52	2464.02	4
12	Muzaffarnagar	Bhokarhedi NP	161	241.50	161.00	210.63	613.13	4
13	Muzaffarnagar	Budhana NP	112	168.00	112.00	146.53	426.53	4
14	Muzaffarnagar	Charthawal NP	179	268.50	179.00	234.18	681.68	4
15	Muzaffarnagar	Khatauli NPP	301	451.50	301.00	393.79	1146.29	4
16	Muzaffarnagar	Sisauli NP	279	418.50	279.00	365.01	1062.51	4
17	Shahjahanpur	Powayan NPP	1050	1575.00	1050.00	1365.00	3990.00	4
18	Siddharth Nagar	DomariyaganjNP	671	1006.50	671.00	872.30	2549.80	4
19	Siddharth Nagar	Uska Bazar NP	166	249.00	166.00	215.80	630.80	4
20	Varanasi	Ramnagar NPP	940	1410.00	940.00	808.40	3158.40	3
<b>Total</b>			<b>7192</b>	<b>10788.00</b>	<b>7192.00</b>	<b>8943.55</b>	<b>26923.55</b>	

उपरोक्त 09 जनपदों की 20 नगर निकायों में 7192 आवासों की डीपीआर की परियोजना लागत रु० 26,923.55 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रु० 10,788.00 लाख, राज्यांश रु० 7,192.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान रु० 8,943.55 लाख है।

इस प्रकार कुल 75 निकायों के 73140 आवासों का विवरण निम्नवत् है:-

EWS आवासों की सं०	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	परियोजना लागत
<b>73,140</b>	<b>1,09,710.00</b>	<b>73,140.00</b>	<b>82,364.40</b>	<b>2,65,214.40</b>



अवगत कराया गया कि उक्त सभी लाभार्थियों का सत्यापन जनपद स्तर पर कराया जा चुका है। उपरोक्त 20 जनपदों की 75 नगर निकायों में 73,140 आवासों की डीपीआर की परियोजना लागत रु0 2,65,214.40 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रु0 1,09,710.00 लाख, राज्यांश रु0 73,140.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान रु0 82,364.40 लाख है।

यह भी अवगत कराया गया कि उक्त को सम्मिलित कर अब तक कुल स्वीकृत Curtailment/अभ्यर्पण (1,81,902 आवास) के सापेक्ष कुल नई डीपीआर का विवरण निम्नवत् है:-

SLSMC द्वारा पूर्व में स्वीकृत Curtailment के सापेक्ष नए आवासों की स्वीकृत डीपीआर	1,08,761
उप-समिति द्वारा अनुमोदित नए आवासों की डीपीआर	73,140
<b>Curtailment के सापेक्ष कुल प्राप्त नए आवासों की डीपीआर</b>	<b>1,81,901</b>

उप-समिति द्वारा उपरोक्त Curtailment/अभ्यर्पण एवं नई डीपीआर के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश में बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत स्वीकृत कुल आवासों की संख्या 14,70,873 है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा दिनांक 15.12.2021 तक स्वीकृत आवास (A)	14,70,874
दिनांक 15.12.2021 से अब तक प्राप्त Curtailment/अभ्यर्पण (B)	1,81,902
दिनांक 15.12.2021 से अब तक प्राप्त नए आवासों की डीपीआर (C)	1,81,901
<b>उप-समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत आवासों की संख्या (D=A-B+C)</b>	<b>14,70,873</b>

उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत 20 जनपदों की 75 परियोजनाओं में 73140 आवासों हेतु उप-समिति द्वारा दिनांक 29.10.2021 की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त 73,140 नए आवासों की डीपीआर की स्वीकृति प्रदान की गयी।

**1.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report (ATR) का अनुमोदन निम्नानुसार उप-समिति द्वारा किया गया।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत 08 प्राधिकरणों द्वारा 17 परियोजनाओं में भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट (TPQMA) पर की गयी कार्यवाही (Action Taken Report) की आख्या का अनुमोदन उप-समिति द्वारा एस0एल0एस0एम0सी0 की गत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	प्राधिकरण का नाम	सीएसएमसी की सं0 एवं तिथि	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या
1	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	38वीं/26.09.2018	मेरठ रोड मुजफ्फरनगर	224
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण	29वीं/27.12.2017	बसन्तकुंज पार्ट-ए	768

क्र० सं०	प्राधिकरण का नाम	सीएसएमसी की सं० एवं तिथि	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या
		29वीं / 27.12.2017	बसन्तकुंज पार्ट-बी	432
		29वीं / 27.12.2017	बसन्तकुंज पार्ट-सी	912
		36वीं / 24.07.2018	शारदा नगर विस्तार	208
		34वीं / 30.05.2018	शारदा नगर विस्तार	2048
3	कानपुर विकास प्राधिकरण	31वीं / 27.02.2018	शकरापुर योजना	2208
4	बरेली विकास प्राधिकरण	36वीं / 24.07.2018	खसरा नं०-572 हमीरपुर (मै० मोहन इन्फ्रा डेवलपर्स)	364
		39वीं / 30.10.2018	पुरनपुर कुआ डांडा, बिसलपुर मार्ग (मै० मेगा इन्फ्राड्रीम्स)	1500
		41वीं / 27.12.2018	घंघोरा पिपरिया (मै० धनराज बिल्डर्स)	480
5	झांसी विकास प्राधिकरण	39वीं / 30.10.2018	ग्राम करारी, ग्वालियर रोड (मै० मैक इन्फ्रासिटी प्रा०लि०)	1180
		39वीं / 30.10.2018	ग्राम-अम्बावे (मै० राधास्वामी इन्फ्रा डेवलपर्स)	624
6	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	41वीं / 27.12.2018	खसरा नं०-2385 ग्राम रामपुरा	160
7	मेरठ विकास प्राधिकरण	29वीं / 27.12.2017	सरायकाजी गढ़ रोड	576
8	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	39वीं / 30.10.2018	जगदीशपुरम योजना (मै० जय अम्बे एस्टेट प्रा०लि०)	147
		39वीं / 30.10.2018	एस०सी०सी० ब्लासम योजना (मै० एस०सी०सी० बिल्डर्स प्रा०लि०)	252
		42वीं / 30.01.2019	मिगसन अथर्व योजना (मै० महालक्ष्मी बिल्डटेक प्रा०लि०)	946

इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की मेरठ रोड परियोजना, कानपुर विकास प्राधिकरण की सकरापुर परियोजना, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण की रामपुरा रोड परियोजना, मेरठ विकास प्राधिकरण की सरायकाजी गढ़ रोड परियोजना की टी०पी०क्यू०एम० रिपोर्ट में उल्लिखित मजदूरों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये तथा सम्बन्धित ठेकेदार (Contractor) के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु उप-समिति द्वारा निर्देश दिये गये थे।

साथ ही उप-समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये मै० सरटेक कन्सलटेन्ट द्वारा जनपद लखनऊ, कानपुर एवं बरेली में ए०एच०पी० परियोजनाओं की टी०पी०क्यू०एम० विजिट की रिपोर्ट में एक जैसी कमियाँ ही दर्शायी गयी हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा ठीक प्रकार से जाँच नहीं की गयी है। अतः उक्त संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वहाँ से हटाया जाए तथा अन्य टी०पी०क्यू०एम० एजेन्सी का नियमानुसार चयन किया जाये।

उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने से पूर्व एक स्पष्टीकरण जारी कर उनका पक्ष प्राप्त किया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में उप-समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये। साथ ही भविष्य में टी०पी०क्यू०एम० रिपोर्ट में गम्भीर त्रुटि पाये जाने की

दशा में सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में उक्त उप-समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त 17 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 की स्वीकृति प्रदान की गयी।

**एजेण्डा-02ए:-भागीदारी में किफायती आवास घटक की 22 परियोजनाओं के संशोधित अनुलग्नक-7बी की स्वीकृति।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक की स्वीकृत परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों का आवंटन किया गया है, जिस हेतु परियोजनाओं में आवंटन के अनुसार जाति एवं लिंग के विवरण को संशोधित कर परियोजनाओं हेतु अनुलग्नक-7बी उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराते हुए एमआईएस पोर्टल पर विवरण अपडेट कराने का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर एम0आई0एस0 पोर्टल पर निम्नलिखित परियोजनाओं के अनुलग्नक-7बी में संशोधन किया जाना है:-

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	जनपद	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवास	सीएसएमसी सं० एवं दिनांक
1	M/S Mohan Infra Developers Pvt. Ltd. (Bareilly Dev Auth)	Bareilly	Khasra No, 572, Hamirpur	364	36 / 24-Jul-18
2	M/s Mega Infradreams Consortium (Bareilly Dev Auth)	Bareilly	Vill. Purnapur & Kuan Danda, Bishalpur Road	1500	39 / 30-Oct-18
3	M/s Dhanraj Builders (Bareilly Dev Auth)	Bareilly	Vill. Ghanghora Pipiriya	480	41 / 27-Dec-18
4	Bulandshahr Dev Auth	Bulandshahr	Khasra - 2385, Vill Rampura	160	41 / 27-Dec-18
5	Ghaziabad Dev Auth	Ghaziabad	Vill. Daasna	432	38 / 26-Sep-18
6	M/s SCC Builders Pvt. Ltd. Ghaziabad Dev Auth	Ghaziabad	Khasra No. 1179 & 1180	252	39 / 30-Oct-18
7	M/s Jai Ambey Estate P. Ltd. (Ghaziabad Dev Auth)	Ghaziabad	Jagdeesh Puram	147	39 / 30-Oct-18
8	M/S ATS Grand Realtors Pvt. Ltd. (Ghaziabad Dev Auth)	Ghaziabad	Rasoolpur, Sik Road	789	42 / 30-Jan-19
9	M/s Mahalaxmi Build Tech Ltd. (Ghaziabad Dev Auth)	Ghaziabad	Migsan Atharva Yojna	946	42 / 30-Jan-19
10	Hapur-Pilakhwa Dev Auth	Hapur	Hindalpur	264	39 / 30-Oct-18
11	Lucknow Dev Auth	Lucknow	Basant Kunj, Part-B	912	29 / 27-Dec-17
12	Lucknow Dev Auth	Lucknow	Balaganj Awas	432	29 / 27-Dec-17
13	Lucknow Dev Auth	Lucknow	Basant Kunj, Part-A	768	29 / 27-Dec-17
14	Lucknow Dev Auth	Lucknow	Sharda Nagar Extension	2048	34 / 30-May-18
15	Lucknow Dev Auth	Lucknow	Sharda Nagar Extension	208	36 / 24-Jul-18
16	Lucknow Dev Auth	Lucknow	Sector J, Jankipuram	288	38 / 26-Sep-18
17	Meerut Dev Auth	Meerut	Sarai Kaji, Garh Road	576	29 / 27-Dec-17
18	Moradabad Dev Auth	Moradabad	Sonakpur, Moradabad	208	36 / 24-Jul-18
19	Moradabad Dev Auth	Moradabad	Vill. Dhakka	144	38 / 26-Sep-18
20	Muzaffar Nagar Dev Auth	Muzaffar Nagar	Meerut Road	224	38 / 26-Sep-18
21	Rae Bareilly Dev Auth	Raebareilly	Vill. Barkhapur	520	38 / 26-Sep-18
22	Varanasi Dev Auth	Varanasi	Vill. Kurhua	250	39 / 30-Oct-18

उक्त के क्रम में अवगत कराया गया कि परियोजनाओं की स्वीकृति के समय लाभार्थियों का चयन अनिवार्य न होने के कारण पोर्टल पर प्रोजेक्ट क्रिएशन के समय समस्त आवासों को सामान्य श्रेणी

में दर्शाया जाता है। भागीदारी में किफायती आवास घटक में आवास आवंटन शासनादेश सं०-1022/आठ-1-18-93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 में उल्लिखित वरीयता नीति के अनुसार किया जाता है। उपरोक्तानुसार पोर्टल पर अंकित परियोजनाओं के श्रेणीवार विवरण में आवंटित आवासों के आधार पर संशोधन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव विभिन्न प्राधिकरणों से उपाध्यक्ष के हस्ताक्षरोपरान्त प्राप्त हुए हैं।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त संशोधित एनेक्जर-7बी की स्वीकृति प्रदान की गयी।

**एजेण्डा-02बी-भागीदारी में किफायती आवास घटक की 02 परियोजनाओं के संशोधन की स्वीकृति।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक की 02 परियोजनाओं में संशोधन किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	CSMC सं०	परियोजना का नाम	EWS आवासों की सं०	केन्द्रांश	राज्यांश	लामार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था अंशदान	परियोजना लागत
1	मुजफ्फरनगर वि०प्रा०	38	भोपा रोड	448	672.00	448.00	896.00	482.54	2598.54
2	गाजियाबाद वि०प्रा०	38	प्रताप विहार	1910	2865.00	1910.00	3820.00	25026.72	33621.72

उक्त तालिका के क्रम सं० 1 में वर्णित मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की 448 आवासों की भोपा रोड परियोजना (ग्राम मुस्तफाबाद) में उपलब्ध भूमि 1.590 हे० के स्थान पर मात्र 0.9250 हे० भूमि ही उपलब्ध होने के कारण प्राधिकरण द्वारा 448 भवनों के स्थान पर प्राधिकरण द्वारा 448 आवासों के स्थान पर 224 आवासों की संशोधित परियोजना की नई डीपीआर तैयार की गयी है।

उक्त तालिका के क्रम सं० 2 में वर्णित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 1910 आवासों की प्रताप विहार परियोजना में प्रति आवास निर्माण लागत अधिक आने तथा इस लागत पर परियोजना फिजिबल न हो पाने के कारण परियोजना का संशोधित मानचित्र 1200 भवनों का स्वीकृत किया गया। परियोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत जी+12 तलों को परिवर्तित/संशोधित करते हुए जी+3 के अनुसार तैयार की गई 1200 भवनों की डी०पी०आर० तैयार की गई है। इस प्रकार 02 प्राधिकरणों द्वारा कुल 1424 आवासों की 02 संशोधित परियोजनाएँ स्वीकृत की जानी हैं। उक्त दोनों परियोजनाओं का संशोधनोपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	EWS आवासों की सं०	केन्द्रांश	राज्यांश	लामार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था अंशदान	परियोजना लागत
1	मुजफ्फरनगर वि०प्रा०	भोपा रोड	224	336.00	224.00	448.00	420.67	1428.67
2	गाजियाबाद वि०प्रा०	प्रताप विहार	1200	1800.00	1200.00	4200.00	7971.38	15171.38

यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त दो परियोजनाओं के संशोधन का प्रस्ताव मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों द्वारा आवास बन्धु के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण राज्य

स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा दिनांक 07.09.2021 को करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त दोनों परियोजनाओं के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

**एजेण्डा-03:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत अफॉडेबल रेन्टल हाऊसिंग कॉम्प्लैक्स हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किए गए expression of interest (EOI) के क्रम में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत जनपद प्रयागराज की 1112 आवासों की डी0पी0आर0 की स्वीकृति।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत अफॉडेबल रेन्टल हाऊसिंग कॉम्प्लैक्स हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किए गए expression of interest (EOI) के क्रम में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 (IOCL) द्वारा जनपद प्रयागराज में 1112 आवासों की परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल पर प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव के मूल्यांकन के उपरान्त IOCL द्वारा नगर निगम प्रयागराज में परियोजना हेतु डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

S. No.	Urban Local Body	Organization	Type of Entity	Technology Innovation Grant (Yes/No)	Single (No.s)	Double (No.s)	Dormitory (No.s)	Total (No.s)	Project Cost (Rs. in lakhs)	TIG Amount (Rs. in lakhs)
1.	Prayagraj Municipal Corporation	Indian Oil Corporation Limited	Public	Yes (Any of the six alternate construction technologies approved by MoHUA)	192	40	880	1112	7605.20	330.60

उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी डी0पी0आर0 का परीक्षण प्रयागराज नगर निगम द्वारा करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसकी परियोजना लागत रू0 7605.20 लाख है। इस परियोजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 06 नई तकनीकों में से किसी एक तकनीक से आवासों का निर्माण किया जायेगा। नई तकनीक का प्रयोग करने के कारण भारत सरकार द्वारा परियोजना में रू0 330.60 लाख की टी0आई0जी0 भी नियमानुसार देय होगी। परियोजना हेतु राज्य सरकार पर कोई व्ययभार नहीं आयेगा, अपितु नगर निगम प्रयागराज को परियोजना स्थल तक ट्रंक सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी, जिसके लिए उनके द्वारा सहमति उपलब्ध करायी गयी है।

यह भी अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा दिनांक 08.09.2021 को उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की गयी है कि प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग की पुष्टि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से करा ली जाये। उक्त के क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग आवासीय होने की पुष्टि कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त ए0आर0एच0सी0 के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में 1112 आवासों की परियोजना की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि प्रश्नगत प्रस्ताव का तकनीकी परीक्षण आवास बन्धु से कराने के उपरान्त ही भारत सरकार को प्रेषित किया जाये।

**एजेण्डा-04:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक में प्रति आवास मूल्य रू0 6.00 लाख (कैबिनेट द्वारा स्वीकृत) को लागू करने की स्वीकृति।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक में आवास का विक्रय मूल्य रू0 4.50 लाख होने के कारण अभिकरणों पर पड़ रहे अतिरिक्त भार को दृष्टिगत मा0 मंत्री परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश सं0-20/2020/532/आठ-1-20-80विविध/2010 दिनांक 18.03.2020 के बिन्दु सं0-3 में यह प्राविधान किया गया है कि "वर्ष 2019-20 की लागत के आधार पर ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की पूर्व में निर्धारित रू0 4.50 लाख सीलिंग कास्ट को 22.67 वर्ग मी0 कारपेट एरिया के लिए सीलिंग कास्ट रू0 6.00 लाख तथा 22.67 वर्ग मी0 से 30 वर्ग मी0 तक के कारपेट एरिया के भवनों के लिए प्रोरेटा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाये। प्रति ई0डब्ल्यू0एस0 इकाई पर रू0 2.50 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा। अनुदान की धनराशि रू0 2.50 लाख के अतिरिक्त विक्रय मूल्य की अवशेष धनराशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी में किफायती आवास के अन्तर्गत सी0एस0एम0सी0 से स्वीकृत परियोजनाओं में लाभार्थियों का अंश बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2020 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0-10 में यह निर्णय लिया गया कि -

"विकास प्राधिकरण की जिन परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सीएसएमसी) द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा जिन पर विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करने की कार्यवाही नहीं की गई है, उनमें लाभार्थियों का अंशदान अभिकरण बोर्ड के अनुमोदन से बढ़ाये जाने हेतु औचित्य एवं आख्या सहित प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकेगा, जिसे निदेशक, आवास बन्धु/शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाएगा तथा राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाएगा।"

उपरोक्तानुसार परियोजनाओं में लाभार्थी अंशदान संशोधित किये जाने हेतु कैबिनेट निर्णय को समिति द्वारा अवलोकित किया गया।

**एजेण्डा-05:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से प्राप्त निजी विकासकर्ता की 603 आवासों की नई परियोजना की स्वीकृति।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक हेतु जनपद गाजियाबाद की 01 परियोजना में 603 आवासों की डी0पी0आर0 तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	अभिकरण/विकास क्षेत्र का नाम	जनपद	परियोजना का नाम	EWS आवासों की सं0	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	विकासकर्ता का अंशदान	परियोजना लागत
1	M/S Shri Rama Krishna Cooperative Housing Society Ltd. (U.P.A.V.P.)	Ghaziabad	Ajantapuram Loni Road	603	904.50	603.00	2747.629	229.206	4484.335

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद गाजियाबाद में निजी विकासकर्ता मै0 रामा कृष्णा सहकारी आवास समिति लि0 की 01 परियोजना 603 आवास की प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रति आवास

कारपेट एरिया 26.78 वर्ग मी० का प्राविधान किया गया है तथा प्रस्तुत डीपीआर में प्रति आवास का विक्रय मूल्य रू० 7.0566 लाख निर्धारित किया गया है, जिसमें केन्द्रांश रू० 1.50 लाख, राज्यांश रू० 1.00 लाख व लाभार्थी अंशदान रू० 4.5566 लाख है।

इस प्रकार प्रस्तुत 01 परियोजना की कुल परियोजना लागत रू० 4484.335 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रू० 904.50 लाख, राज्यांश रू० 603.00 लाख, लाभार्थी अंशदान रू० 2747.629 लाख तथा कार्यदायी संस्था का अंशदान रू० 229.206 लाख है।

यह भी अवगत कराया गया कि आवास बन्धु के माध्यम से प्राप्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के प्रस्ताव का परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा दिनांक 07.09.2021 को करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त भागीदारी में किफायती आवास घटक में जनपद गाजियाबाद की 01 परियोजना में 603 आवासों की डी०पी०आर० की स्वीकृति प्रदान की गयी।

**एजेण्डा-06:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत एस०एल०एस०एम०सी० द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार आवंटित लाभार्थियों को एम०आई०एस० पोर्टल पर अटैचमेन्ट होने के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गत किया जाता है, जिसके पश्चात् लाभार्थियों द्वारा देय धनराशि जमा किया जाना प्रारम्भ किया जाता है।

भारत सरकार के एम०आई०एस० पोर्टल पर अटैचमेन्ट तथा बायोमैट्रिक के माध्यम से आवंटन पत्र निर्गत किये जाने में विभिन्न कठिनाईयों के कारण लाभार्थियों को आवंटन पत्र निर्गत किये जाने में अधिक समय लग रहा है, जिससे आवंटियों द्वारा देय अंशदान की राशि जमा कराने की प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। अतः परियोजनाओं की पूर्णता के दृष्टिगत् योजना के मानको के अनुसार सत्यापित एवं लॉटरी के माध्यम से चयनित आवंटियों को प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी कर उनसे अंशदान की राशि प्राप्त किया जाना योजना हित में है।

उल्लेखनीय है कि भवनों का औपचारिक आवंटन एम०आई०एस० डाटा अपलोड हो जाने एवं बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त ही निर्गत किया जाएगा तथा तदुपरान्त ही भवनों का कब्जा दिया जाएगा।

यह भी अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइडलाइन के पृष्ठ-12 के प्रस्तर-6 के उपप्रस्तर-6.5 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:-

"Allotment of houses to identified eligible beneficiaries in AHP projects should be made following a transparent procedure as approved by SLSMC and beneficiaries selected should be part of HFAPoA. Preference in allotment may be given to physically handicapped persons, senior citizens, scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minority, single women, transgenders and other weaker and vulnerable section of the society. While making the allotment, the families with person with disability and senior citizens may be allotment house preferably on the ground floor or lower floors."

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन द्वारा पत्र संख्या-1080/आठ-21-1483/2019 दिनांक 09.08.2021 में भारत सरकार की गाइडलाइन में उपरोक्तानुसार उल्लिखित

व्यवस्था के आलोक में प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिये गये जारी किये जाने वाले प्रोविजनल आवंटन पत्र की वैधता की समय-सीमा निर्धारित की जाये, जो कि 03 माह तक हो।

**एजेण्डा-07:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत एनुअल कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एनुअल कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान के अन्तर्गत एसएलटीसी/सीएलटीसी का गठन, ट्रेनिंग/वर्कशॉप (राज्य/शहर स्तर) एक्सपोजर विजिट, रिसर्च स्टडीज, आई0ई0सी0, टीपीक्यूएम, जिओ टैगिंग, प्लान ऑफ एक्शन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट निम्नवत् है:-

Sl. No.	Activity	Budget (Rs. In Lacs)		
		State Share	Central Share	Total
1	Establishment of SLTC and CLTC	201.61	604.83	806.45
2	Trainings and workshops	0.00	16.00	16.00
3	Exposure Visits	0.00	15.00	15.00
4	Documentations/Research	0.00	5.00	5.00
5	IEC	0.00	90.00	90.00
6	TPQM	369.07	1107.23	1476.30
7	Social Audit	0.00	5.50	5.50
8	Geo-Tagging	0.00	1765.00	1765.00
9	HFAPoA	147.55	442.64	590.19
10	Administrative Expenses (A&OE)	30.00	90.00	120.00
<b>Total</b>		<b>748.22</b>	<b>4141.20</b>	<b>4889.44</b>

इस प्रकार कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान हेतु कुल रू0 4889.44 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें केन्द्रांश रू0 4141.20 लाख तथा राज्यांश रू0 748.22 लाख है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

**एजेण्डा-08:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 06 जनपदों की 06 नगर निकायों के हाऊसिंग फार ऑल प्लान ऑफ एक्शन की स्वीकृति।**

अवगत कराया गया कि दिनांक 18.02.2021 की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवशेष आगरा नगर निगम, बरेली नगर निगम, फिरोजाबाद नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम एवं वाराणसी नगर निगम के कुल 06 हाऊसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.06.2021 को 54वीं सी0एस0एम0सी0 में स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-



S. No.	District	ULB	Approved after validation						Financial Status (in crore)		
			ISSR	CLSS	AHP	BLC (N)	BLC (E)	Total	Central Share	State Share	Benef. Share
1	Agra	Agra NN	0	39864	36774	5259	153	82050	632.79	421.86	1332.32
2	Bareilly	Bareilly NN	6092	4117	9965	1064	375	21613	231.98	154.86	362.71
3	Firozabad	Firozabad NN	0	9744	4486	4585	490	19305	143.42	95.61	196.44
4	Gorakhpur	Gorakhpur NN	2544	11748	18254	7518	3803	43867	469.07	312.79	737.38
5	Lucknow	Lucknow NN	653	33812	151506	3458	495	189924	2338.42	1558.97	5333.44
6	Varanasi	Varanasi NN	832	1243	13648	6385	501	22609	316.33	210.91	532.59
<b>TOTAL</b>			<b>10121</b>	<b>100528</b>	<b>234633</b>	<b>28269</b>	<b>5817</b>	<b>379368</b>	<b>4132.01</b>	<b>2755.00</b>	<b>8494.88</b>

उपरोक्त 06 जनपदों की 06 निकायों के हाऊसिंग फार ऑल प्लान आफ एक्शन की समिति द्वारा अवलोकनोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुपूरक एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नवत् है:-

**अनुपूरक एजेण्डा-01:-** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक (AHP) के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की 76 आवासों की नई परियोजना की स्वीकृति।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी किफायती आवास घटक (AHP) के अन्तर्गत प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद-प्रयागराज में लूकरगंज, तहसील सदर स्थित 76 ई0डब्लू0एस0 आवासों की परियोजना, स्वीकृति हेतु आवास बन्धु के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। परियोजना की कुल लागत रू0 538.61 लाख है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	EWS आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था का अंशदान
प्रयागराज विकास प्रा0	प्लॉट सं0-3ए, लूकरगंज	76	538.61	114.00	76.00	266.00	82.61

इस परियोजना में प्रत्येक आवास का कारपेट क्षेत्रफल 22.77 वर्ग मी0 प्रस्तावित है, जिसमें केन्द्रांश के रूप में रू0 114.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में रू0 76.00 लाख का अनुदान प्राप्त होगा। परियोजना में प्रत्येक लाभार्थी को भवन रू0 6.00 लाख में प्राप्त होगा, जिसमें लाभार्थी द्वारा मात्र रू0 3.50 लाख ही देय होगा, इस प्रकार परियोजना में कुल लाभार्थी अंशदान रू0 266.00 लाख होगा। शेष धनराशि रू0 82.61 लाख प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जायेगी।

आवास बन्धु द्वारा पत्रांक 7427 दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रयागराज विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-10 पर उल्लिखित है कि "प्रस्तावित परियोजना हेतु चिन्हित/प्रस्तावित भूमि नजूल भूखण्ड संख्या 3ए मौजा लूकरगंज, तहसील सदर, जिला प्रयागराज पर प्रस्तावित है। यह भूमि प्रयागराज विकास प्राधिकरण को जिलाधिकारी, प्रयागराज की संस्तुति दिनांक


28.09.2021 के क्रम में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से आवंटन के उपरान्त प्राप्त होना प्रस्तावित है। इस भूमि का क्षेत्रफल 1731.00 वर्गमीटर है।" उक्त के क्रम में आवास बन्धु द्वारा पत्रांक-7531 दिनांक 16.11.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश सं0-1144/आठ-4-2021-07एन/2021 दिनांक 15.11.2021 द्वारा प्रश्नगत भूमि का हस्तान्तरण शासन द्वारा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया है।

यह भी अवगत कराया गया कि आवास बन्धु के माध्यम से प्राप्त प्रयागराज विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव का परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा दिनांक 16.11.2021 को करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त भागीदारी में किफायती आवास घटक में जनपद प्रयागराज की 01 परियोजना में 76 आवासों की डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान की गयी।

**अनुपूरक एजेण्डा-02:-**अन्त में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी किफायती आवास घटक (AHP) के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद-लखनऊ में खसरा सं0-599 (अंश), हसनगंज पार, बीरबल साहनी मार्ग स्थित 2923 वर्ग मीटर भूमि पर 120 ई0डब्लू0एस0 आवासों की परियोजना तैयार की गयी है, जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु समिति से अनुरोध किया गया। इस परियोजना की कुल लागत रू0 775 लाख है, जिसमें 24.72 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्रफल के आवास निर्मित किये जायेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त भागीदारी में किफायती आवास घटक में जनपद लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की 01 परियोजना में 120 आवासों की डी0पी0आर0 हेतु सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि प्रश्नगत परियोजना का परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) से कराये जाने के उपरान्त ही भारत सरकार प्रेषित की जाये।

  
(डा0 रजनीश दुबे)  
अपर मुख्य सचिव।


उत्तर प्रदेश शासन  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग  
संख्या:-2313/69-1-2021-14(235)/15  
लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2021

कार्यालय-आदेश

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
13. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा।

  
(डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।